

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुका बनाम मोरा, दामो पि० भूपति० शर्मा  
प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/47/2022

निर्णय दिनांक :- 16/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम .....  
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0.68 किस्म जमीन गण्डु में से 0-02 80  
रकबे पर श्री मोरा, दामो 810 भूपति० पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .....  
मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुका द्वारा दिनांक 6/5/22  
..... को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद  
भू.अ.निरी. दारौवा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी मोरा, दामो, पि० भूपति० जाति जाट निवासी शर्मा को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .....  
..... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।  
उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0.68 में से 0.02 80  
रकबे किस्म गण्डु पांखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायम को अतिक्रमित  
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paise का  
50 गुणा 19 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुका भू.अ.निरी. ....  
दारौवा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

मोरा  
तहसीलदार (अलवर)  
तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)